Web Copy - Not Official

34/2015 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 34/15

सतविन्द्रसिंह दत्तक पुत्र श्री बूटासिंह पुत्र गुरदाससिंह जाति जटसिख निवासी 15टी0के0 झौटांवाली तह0 रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

अपीलांट

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. सुखप्रीतकौर पत्नी जलन्धरसिंह जाति जटसिख निवासी 14 आर बी तह0 रायसिंहनगर।
3. सन्दीपकौर पत्नी जगदीश सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ एफ बी तह0 रायसिंहनगर।
4. कौरसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी झौंटावाली तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. बूटासिंह पुत्र गुरदाससिंह जाति जटसिख निवासी झौंटावाली तह0 रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर दिनांक 17–7–14

उपस्थित : 1. श्री जगमोहन आहूजा, अधिवक्ता, अपीलांट की ओर से।
2. श्री हरजीतसिंह जौली, अधिवक्ता, रेस्पो0 2से 4
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 5 की ओर से।

आदेश दिनांक : 29-11-16

प्रस्तुत अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 17–7–14 के विरूद्व पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट बूटासिंह का खोलायत पुत्र है। अपीलांट के पिता बूटासिंह को उसके दादा गुरदाससिंह से विरासतन चक 15 टी0के0 तह0 रायसिंहनगर में मु0 नं0 25 प0 नं0 143/301, कि0 नं0 1 ता 9 का 2.277 है0, मु0 नं0 43 प0 नं0 149/303 के कि0 नं0 1 ता 8 का 1.877 है0, मु0 नं0 25 प0 नं0 143/301 के कि0 नं0 10 ता 25 प0 नं0 146/301 के कि0 नं0 16 व 17 का 0.506 है0 में से 1/7 हिस्सा तथा मु0 नं0 42 प0 नं0 148/303 के कि0 नं0 13 ता 25 के 3.163 है0 के 1/2 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। बूटासिंह द्वारा बिना विभाजन करवाये समस्त भूमि को मुन्तकिल करने की कौशिश पर अपीलांट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में धारा 88,188,92ए में पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 आर टी एक्ट का पेश किया, जो 123/08 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 8–6–09 को आदेश पारित कर स्थगन आदेश दिनांक 27–10–08 को स्थाई कर दिया गया। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते बूटासिंह ने अपीलाधीन भूमि

Law

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

को जरिये बैयनामा रेस्पो0 सं0 2 से 4 को विक्रय कर दी तथा ग्राम पंचायत झौंटावाली से इंतकाल सं0 201 दिनांक 20—6—09 स्वीकृत करवा लिया। उक्त इंतकाल के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अपील सं0 23/09 दायर की गई। अपीलीय निर्णय दिनांक 29—7—10 द्वारा इंतकाल सं0 201 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार, रायसिंहनगर को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा बिने रिमाण्ड आदेश की पालना किये दिनांक 17—7—14 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसपर इंतकाल सं0 288 दिनांक 24—7—14 को स्वीकृत किया गया। इस संबंध में सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में सिविल वाद सं0 54/13 दायर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 20—7—13 द्वारा बैयनामा दिनांक 17—6—09 जिसको प्रारम्भ से अवैध व शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार मान कर कथित बैयनामा को वैध करान नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—7—14 एवं इंतकाल सं0 288 निरस्त फरमाये जावें।

अपीलाधीन आदेश से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा है कि बूटासिंह द्वारा बिना विभाजन करवाये समस्त भूमि को मुन्तकिल करने की कौशिश पर अपीलांट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में धारा 88,188,92ए में पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र अ0 धारा 212 आर टी एक्ट का पेश किया, जो 123/08 पर दर्ज किया जाकर दिनांक 8—6—09 को आदेश पारित कर स्थगन आदेश दिनांक 27—10—08 को स्थाई कर दिया गया। स्थगन आदेश के प्रभावी रहते बूटासिंह ने अपीलाधीन भूमि को जरिये बैयनामा रेस्पो0 सं0 2 से 4 को विक्रय कर दी तथा ग्राम पंचायत झौंटावाली से इंतकाल सं0 201 दिनांक 20—6—09 स्वीकृत करवा लिया। उक्त इंतकाल के खिलाफ उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में अपील सं0 23/09 दायर की गई। अपीलीय निर्णय दिनांक 29—7—10 द्वारा इंतकाल सं0 201 को निरस्त कर, प्रकरण तहसीलदार, रायसिंहनगर को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा बिने रिमाण्ड आदेश की पालना किये दिनांक 17—7—14 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसपर इंतकाल सं0 288 दिनांक 24—7—14 को स्वीकृत किया गया। इस संबंध में सिविल न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में सिविल वाद सं0 54/13 दायर किया गया, जिसके निर्णय दिनांक 20—7—13 द्वारा बैयनामा दिनांक 17—6—09 जिसको प्रारम्भ से अवैध व शून्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया था। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार मान कर कथित बैयनामा को वैध करान नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इस प्रकार, निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—7—14 एवं इंतकाल सं0 288 निरस्त फरमाये जावें।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा उसमें कथन किया है कि स्थगन आदेश दिनांक 27—10—08 एवं स्थाई आदेश दिनांक 8—6—09 की सूचना किसी भी स्तर पर तहसीलदार / पटवारी को नहीं दी गई। पटवारी हल्का को स्थगन की सूचना दिनांक 31—7—09 को हुई है। स्थगन आदेश दिनांक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

8–6–09 के खिलाफ अपील सं0 55/09 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें स्थगन आदेश दिनांक 8–6–09 की कियान्विति को स्थगित करने का आदेश प्राप्त भूमि का विक्रय दिनांक 17–6–09 को किया गया था। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 29–7–10 के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में अपील सं0 36/10 दायर की गई थी, जिसके निर्णय दिनांक 13–2–12 को उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 29–7–10 को बहाल रखा गया था। बूटासिंह द्वारा गोदनामा को निरस्त कराने का वाद ए0डी0जे0 न्यायालय, रायसिंहनगर में 58/09 दायर किया गया, जो दिनांक 13.10.14 को गोदनामा निरस्त कर दिया गया। गोदनामा निरस्त हो जाने के कारण अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अपीलांट के पिता द्वारा जो विक्रय अनुबंध रेस्पोडेन्ट के साथ किया गया थ, इस विक्रय विलेख को निरस्त करवाने के लिए एक दावा अपीलांट ने कौरसिंह को पक्षकार बना कर अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा विविध दिवानी प्रकरण सं0 2/10 प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 39 नियम 1 व 2 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक 17.3.11 को निर्णय करते हुए न्यायालय ने क्रेता को सद्भावी क्रेता मानकर अपीलांट को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया। एक अन्य वाद सं0 56/13 सिविल न्यायालय क0 ख0 रायसिंहनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 20.7.13 को निरस्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लिखित बहस में यह भी कथन किया गया है कि हस्तगत अपील समयावधि से बाहर है। अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत् पारित किया गया है। विक्रय विलेख को निरस्त नहीं किया गया है। मा. अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर द्वारा अपीलांट का गोदनामा निरस्त कर दिया गया है इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत का अधिकार नहीं है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अवलोकन किया गया।

हस्तगत अपील प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि स्थगन आदेश के प्रभावी रहते हुए, अपीलांट के पिता बूटासिंह द्वारा अपीलाधीन भूमि का विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त किया जाना चाहिये।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा धारा 212 आर टी एक्ट के प्रकरण सं0 123/08 में दिनांक 27–10–08 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसे दिनांक 8–6–09 के आदेश से स्थाई कर दिया गया। दिनांक 8–6–09 के आदेश के विरूद्व रेस्पो0 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय से स्थगन आदेश की कियान्विति पर स्थगन आदेश प्राप्त कर अपीलाधीन भूमि का विक्रय रेस्पो0 सं0 2 से 4 को दिनांक 17–6–09 को कर दिया गया। मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष विचाराधीन अपील सं0 36/10, जो उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के रिमाण्ड आदेश दिनांक 29–7–10 के खिलाफ पेश की गई थी, के अपीलीय निर्णय दिनांक 13–2–12 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय के आदेश दिनांक 29–7–10 को यथावत् रखा गया। मा. अपर जिला न्यायाधीश, रायसिंहनगर के समक्ष विचाराधीन वाद सं0 58/09 जिसमें गोदनामा को चुनौति दी गई थी, में मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 13–10–14 को निर्णय पारित कर गोदनामा को निरस्त कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

34
2015- अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

दिया गया है। इस प्रकार अपीलांट के पक्ष में जो गोदनामा था, वह दिनांक 13–10–14 के आदेश से निरस्त हो चुका है और अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 8–6–15 को दायर की गई है। अपील दायर करने से पूर्व अपीलांट को इस तथ्य का ज्ञान भलीभॉति था कि गोदनामा निरस्त हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार समाप्त हो जाता है। मेरे विन्रम मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 29–11–16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/XI/16

(करतारसिंह पूनियॉ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)